

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 690/2024

अनवान :-

1. दिनेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. योगेश कुमार पूनीया पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

वदीगण

बनाम

1. चन्दो पत्नी बुधराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सन्तोष रानी पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. इन्दु बाला पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 20/8/2024


सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 4 बाराणी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 38/40 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.9700 है0 भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 47/47 के कुल खसरे 29 की कुल 5.0600 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1, 2 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वजों की पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण की दादी व प्रतिवादी संख्या 2 की माता है व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो की वादीगण की बुआ व प्रतिवादी संख्या 2 कर बहिन है उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा अपने पोत्रो,पुत्र व भाई व भतीजो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इसी प्रकार बाद हकत्याग रोही मौजा 4 बाराणी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 38/40 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.9700 है0 भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 47/47 के कुल खसरे 29 की कुल 5.0600 है. भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ब.हि.ब. काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम से दर्ज भूमि में वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।



  
अखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 व 2 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वजों की पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण की दादी व प्रतिवादी संख्या 2 की माता है व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो की वादीगण की बुआ व प्रतिवादी संख्या 2 कह बहिन है उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा अपने पोत्रो, पुत्र व भाई व भतीजो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इसी प्रकार बाद हकत्याग रोही मौजा 4 बाराणी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 38/40 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.9700 है0 भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 47/47 के कुल खसरे 29 की कुल 5.0600 है। भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ब.हि.ब. काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नहीं है।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 बाराणी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 38/40 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.9700 है0 भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 47/47 के कुल खसरे 29 की कुल 5.0600 है। भूमि प्रतिवादी सं. 1, 2 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 व 2 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वजों की पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण की दादी व प्रतिवादी संख्या 2 की माता है व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो की वादीगण की बुआ व प्रतिवादी संख्या 2 कह बहिन है उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा अपने पोत्रो, पुत्र व भाई व भतीजो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इसी प्रकार बाद हकत्याग रोही मौजा 4 बाराणी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 38/40 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.9700 है0 भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 47/47 के कुल खसरे 29 की कुल 5.0600 है। भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ब.हि.ब. काबिज है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उक्त कथनो को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नहीं है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा रोही मोजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 38/40 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.9700 है0 भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 47/47 के कुल खसरे 29 की कुल 5.0600 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि को सम्मिलित करते हुऐ उक्त दोनो खातो की सम्पूर्ण भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/8/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 690/2024

अनवान :-

1. दिनेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. योगेश कुमार पूनीया पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

वदीगण

बनाम

1. चन्दो पत्नी बुधराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सन्तोष रानी पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. इन्दु बाला पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 690 सन 2024 निर्णय दिनांक 20/8/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 38/40 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.9700 है0 भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 47/47 के कुल खसरे 29 की कुल 5.0600 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि को सम्मिलित करते हुऐ उक्त दोनो खातो की सम्पूर्ण भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/8/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर